INDUSTRIAL DEVELOPMENT

उत्तराखण्ड शासन,
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग,
सं0: 01/XXXVI(3)/2022/01(1)/2022
देहरादून, दिनांक: 07 जनवरी, 2022

अधिसूचना
विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 213 के खण्ड(1) के अधीन मा0 राज्यपाल ने **"उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन (संशोधन) अध्यादेश, 2021"** पर दिनांक 06 जनवरी, 2022 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड राज्य का **अध्यादेश संख्याः 01, वर्ष–2022** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है। **(यहाँ संलग्नक छापा जाय)**

पताका– "क"

आज्ञा से,.

(हीरा सिंह बोनाल)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन (संशोधन) अध्यादेश, 2021

(उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या 01 वर्ष, (2021) 2022

(भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए,

अध्यादेश

चूंकि राज्य की विधानसभा सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अध्यादेश प्राख्यापित करते हैं:–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ 1. (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन (संशोधन) अध्यादेश, 2021 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

धारा 2 में संशोधन 2. उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, 2012, (जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है,) की धारा 2 के खण्ड (ड) के पश्चात् खण्ड (ढ) निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

"(ढ)"सैद्धांतिक स्वीकृति" से अधिनियम की धारा 8(1)(क) के अधीन विनिधानकर्ता द्वारा किये गये आवेदन पर राज्य प्राधिकृत समिति या, यथास्थिति, जिला प्राधिकृत समिति द्वारा दी गयी सैद्धांतिक स्वीकृति अभिप्रेत है।"

धारा 3 में संशोधन 3. मूल अधिनियम की धारा 3 में–

(i) उपधारा 4 के खण्ड (ग) के पश्चात् नये खण्ड (घ) एवं (ड़) निम्नवत् अंतःस्थापित कर दिये जायेगे, अर्थात्:–

"(घ) समिति उसके सम्मुख रखे गये परियोजनाओं पर स्वीकृति देने के लिए अन्तिम प्राधिकारी होगी। समिति द्वारा दी गई स्वीकृतियां सभी सम्बन्धित विभागों व प्राधिकारियों पर बाध्यकारी होंगी और ऐसे विभाग या प्राधिकारी निर्धारित समय के भीतर–भीतर उद्यमी द्वारा केन्द्र या राज्य अधिनियम के प्राविधानों और उनमें बनाए गए नियमों के अनुपालन के अधीन आवश्यक अनुज्ञापन जारी करेंगे।

(ड़) यदि सक्षम प्राधिकारी धारा 10 के अधीन विहित कालावधि के भीतर–भीतर ऐसे आवेदनों पर कार्यवाही करने और उनका निपटारा करने में विफल रहता है, तो किसी उत्तराखण्ड विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य प्राधिकृत समिति या, यथास्थिति, जिला प्राधिकृत समिति को, उत्तराखण्ड विधि के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदनों पर विचार करने और उनका निपटारा करने की शक्ति होगी।

इस प्रयोजन के लिए ऐसी विधि में सक्षम प्राधिकारी के प्रति निर्देश का अर्थ, राज्य प्राधिकृत समिति या, यथास्थिति, जिला प्राधिकृत समिति के प्रति निर्देश को सम्मिलित करते हुए लगाया जायेगा:

परन्तु यह कि जहां समिति तुरन्त बैठक करने में या आवेदन पर विचार करने में अन्यथा असमर्थ है, वहां संबंधित समिति का अध्यक्ष, लेखबद्ध कारणों से, आवेदन को विनिश्चत कर सकेगा और की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट समिति की आगामी बैठक में उसको प्रस्तुत कर सकेगा और समिति के किसी निश्चिय के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे आवेदन पर अध्यक्ष का विनिश्चय, सभी प्रयोजनों के लिए इस धारा के अधीन संबंधित समिति का निश्चिय समझा जायेगा;"

(ii) उपधारा (4) के पश्चात् नई उपधारा (5) निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्–

"(5) राज्य प्राधिकृत समिति अथवा जिला प्राधिकृत समिति, जैसी भी स्थिति हो, संयुक्त आवेदन प्ररूप–2 के आवेदनों की प्रास्थिति की समीक्षा करेगी तथा आवश्यक होने पर ऐसे प्रकरणों पर, जहां सक्षम प्राधिकारी अधिनियम की धारा 10 के अधीन विहित समय–सीमा के अंतर्गत संयुक्त आवेदन प्ररूप–2 के आवेदनों के निस्तारण में असफल रहता है, अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत डीम्ड स्वीकृति के संबंध में विनिश्चय कर सकेगी।"

धारा 5 में संशोधन 4. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1)के खण्ड (क) एवं (ख) परन्तुक सहित विलोपित कर दिये जायेगे।

धारा 6 में संशोधन 5. मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्–

(1) "सरकार, या तो भौतिक या इलैक्ट्रोनिक रूप विधान में, ऐसा आवेदन प्ररूप–1 तथा आवेदन प्ररूप–2 विहित करने के लिए सक्षम होगी, जो:–

(क) केन्द्रीय विधियों के अधीन प्ररूपों, और

(ख) उत्तराखण्ड विधियों के अधीन विद्यमान प्ररूपों या विद्यमान प्ररूपों के स्थान पर नये प्ररूपों या उपांतरित प्ररूपों से मिलकर बनेगा।

उक्तानुसार तैयार किये गये संयुक्त आवेदन प्ररूप को संयुक्त आवेदन प्ररूप–1 कहा जायेगा तथा संयुक्त आवेदन प्ररूप–1 उद्यम स्थापना के इच्छुक उद्यमियों द्वारा भरा जायेगा। संयुक्त आवेदन प्ररूप–1 पर राज्य प्राधिकृत समिति अथवा जिला प्राधिकृत समिति, जैसी भी स्थिति हो, से स्वीकृति (सैद्धांतिक स्वीकृति) प्राप्त होने के उपरांत आवेदक संयुक्त आवदेन प्ररूप–2 पर वास्तविक स्वीकृतियों/अनुज्ञापनों/अनुज्ञप्तियों आदि हेतु भौतिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप विधान में, जैसा कि विहित किया जाय, नोडल एजेंसी के माध्यम से विभिन्न विभागों को आवेदन करेगा।"

नई धारा 8.क का अन्तःस्थापन 6. मूल अधिनियम की धारा 8 के पश्चात् नई धारा 8.क निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्–

"सैद्धांतिक स्वीकृति का प्रभाव

8.क अधिनियम की धारा 8(7)(च) के अनुरूप राज्य प्राधिकृत समिति या यथास्थिति जिला प्राधिकृत समिति द्वारा जारी स्वीकृति (सैद्धांतिक स्वीकृति) केन्द्र सरकार अथवा उसके किसी विभाग/संगठनों तथा केन्द्रीय विधियों यथा पर्यावरणीय संरक्षण, श्रम, उद्योग आदि से संबंधित विधियों, के अधीन समुचित सरकार अथवा सक्षम प्राधिकारी के स्तर से जारी किए जाने वाले अनुमोदनों/अनुज्ञापनों/अनुज्ञप्तियों/अनुमतियों/अभिस्वीकृतियों को छोड़कर, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु सभी प्रयोजनों के लिए ऐसे प्रभावी होगी मानों वह इसके जारी किये जाने की तिथि से 3 वर्ष की कालावधि के लिए, अधिनियम की धारा 10(1) में यथा परिभाषित कोई अनुमोदन/अनुज्ञापन/अनुज्ञप्ति/अनुमति/अभिस्वीकृति हो। स्वीकृति (सैद्धांतिक स्वीकृति) मध्यम उद्यमों हेतु सभी प्रयोजनों के लिए ऐसे प्रभावी होगी मानो वह इसके जारी किये जाने की तिथि से 3 वर्ष की कालावधि अथवा व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि, जो भी पहले घटित हो, के लिए, अधिनियम की धारा 10(1) में यथा परिभाषित कोई अनुमोदन/अनुज्ञापन/अनुज्ञप्ति/अनुमति/अभिस्वीकृति हो:

परन्तु तीन वर्ष की उक्त कालावधि के भीतर–भीतर आवेदक को संबंधित उद्यम के स्थापनार्थ/संचालनार्थ धारा 10 (1) के अन्तर्गत यथा परिभाषित, तथा यदि लागू हो तो केन्द्रीय अधिनियमों के अन्तर्गत, अपेक्षित अनुमोदन/अनुज्ञापन/अनुज्ञप्ति/अनुमति/अभिस्वीकृति प्राप्त करने होंगे।

आवेदक को आवेदन पत्र के साथ परियोजना का मानचित्र किसी अधिकृत आर्किटैक्ट अथवा ऑन लाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से जांच कराकर तत्समय प्रभावी उत्तराखण्ड भवन उपविधि (Building Bylaws) के मानकों को पूर्ण करने का स्वप्रमाणित शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा:

परन्तु यह और कि, उक्त कालावधि में, आवेदक को संबंधित उद्यम के स्थापनार्थ/संचालनार्थ अपेक्षित अनुमोदन/अनुज्ञापन/अनुज्ञप्ति/अनुमति/अभिस्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित करने होंगे। आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित न किए जाने की स्थिति में उसके विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी:

परन्तु यह और भी कि, स्वीकृति (सैद्धांतिक स्वीकृति) पत्र किसी व्यक्ति/संस्था या संगठन को मास्टर प्लान, जहां कहीं भी ऐसी योजना प्रवृत्त है, में विनिर्दिष्ट भूमि उपयोग से भिन्न भूमि के उपयोग के लिए हकदार नहीं बनायेगा। यह उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) की धारा 132(क) में यथा विनिर्दिष्ट निर्बन्धित प्रवर्ग अर्थात चारागाह या ऐसी भूमि जिस पर पानी हो और जो सिंघाड़ा या दूसरी उपज पैदा करने के काम आती हो या ऐसी भूमि जो नदी के तल में हो और कभी–कभी खेती के प्रयोग में आती हो, का उपयोग करने का भी हकदार नहीं बनायेगा।"

धारा 14.क का अंतःस्थापन

7. मूल अधिनियम की धारा 14 के पश्चात् नई धारा 14.क निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्–

"निरीक्षण से छूट

14.क(1) अधिनियम की धारा 8.क के अधीन विहित कालावधि के अंतर्गत इस अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत यथापरिभाषित किसी अनुमोदन या अनुज्ञा के प्रयोजन के लिए या उसके सम्बन्ध में उद्यम का कोई निरीक्षण नहीं किया जायेगा:

परन्तु, यह कि उक्त प्रावधान केन्द्र सरकार अथवा उसके किसी विभाग /संगठनों तथा केन्द्रीय विधियों यथा पर्यावरणीय संरक्षण, श्रम, उद्योग आदि से संबंधित विधियों, के अधीन समुचित सरकार अथवा सक्षम प्रधिकारी पर लागू नहीं होंगे।

(2) जहां राज्य सरकार या उसके अधीन कोई प्राधिकारी, किसी उद्यम को किसी भी अनुमोदन/अनुज्ञा या निरीक्षण या केन्द्रीय अधिनियम या विधि के अधीन उससे सम्बन्धित किन्हीं उपबन्धों से छूट देने के लिए सशक्त हैं, वहां सरकार या यथास्थिति ऐसा कोई प्राधिकारी केन्द्रीय अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए राज्य में स्थापित होने वाले किसी उद्यम को अधिनियम की धारा 8(7)(च) के अधीन जारी स्वीकृति (सैद्धांतिक स्वीकृति) का पत्र जारी किये जाने की तारीख से कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए ऐसी छूट देने हेतु ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।"

गुरमीत

6.1.2022

(ले ज गुरमीत सिंह)
पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम,
वीएसएम (से नि)
राज्यपाल उत्तराखण्ड

(लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह)
पी.वी.एस.एम., यू.वाई.एस.एम., ए.वी.एस.एम., वी.एस.एम.(से.नि.)
राज्यपाल, उत्तराखण्ड